



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

13 जनवरी 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'एनबीएफसी/एआरसी की स्वाधिकृत निधि/ टियर 1 पूंजी की गणना और 'ऋण/ निवेश संकेन्द्रण' मानदंडों पर उक्त गणना के लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण' के मसौदा संशोधन निदेशों पर जन-सामान्य से टिप्पणियां आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'एनबीएफसी/एआरसी की स्वाधिकृत निधि/ टियर 1 पूंजी की गणना और "ऋण/ निवेश संकेन्द्रण" मानदंडों पर उक्त गणना के लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण' पर संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं, जिसके माध्यम से निम्नलिखित मास्टर निदेशों में संशोधन किए गए हैं:

- (i) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड\) दूसरा संशोधन निदेश, 2026](#) द्वारा [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड\) निदेश, 2025](#)।
- (ii) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन\) दूसरा संशोधन निदेश, 2026](#) द्वारा [मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन\) निदेश, 2025](#)।
- (iii) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(आवास वित्त कंपनियां\) संशोधन निदेश, 2026](#) द्वारा [भारतीय रिज़र्व बैंक \(आवास वित्त कंपनियां\) निदेश, 2025](#)।
- (iv) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(मूल निवेश कंपनी\) संशोधन निदेश, 2026](#) द्वारा [भारतीय रिज़र्व बैंक \(मूल निवेश कंपनी\) निदेश, 2025](#)।
- (v) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(बंधक गारंटी कंपनी\) संशोधन निदेश, 2026](#) द्वारा [भारतीय रिज़र्व बैंक \(बंधक गारंटी कंपनी\) निदेश, 2025](#)।
- (vi) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां\) संशोधन निदेश, 2026](#) द्वारा [भारतीय रिज़र्व बैंक \(आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां\) निदेश, 2025](#)।
- (vii) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(एकल प्राथमिक व्यापारी\) संशोधन निदेश, 2026](#) द्वारा [भारतीय रिज़र्व बैंक \(एकल प्राथमिक व्यापारी\) निदेश, 2025](#)।

उक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां 28 जनवरी 2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। ये टिप्पणियां/प्रतिक्रियाएँ, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध '[कनेक्ट 2 रेगुलेट](#)' खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर-

मुख्य महाप्रबंधक
तुलन पत्र समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, 13वीं मंजिल
शहीद भगत सिंह मार्ग
फोर्ट
मुंबई - 400 001
अथवा [ईमेल](#) द्वारा

प्रेषित किए जा सकते हैं, जिसकी विषय पंक्ति में एनबीएफसी/एआरसी की स्वाधिकृत निधि/ टियर 1 पूंजी की गणना और "ऋण/ निवेश संकेंद्रण" मानदंडों पर उक्त गणना के लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण पर संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया लिखी होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

वर्तमान में, ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंडों का अनुपालन करते हुए एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल के अलावा) और एआरसी, पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टियर 1 पूंजी की गणना करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक को इन प्रावधानों की समीक्षा के साथ-साथ स्वाधिकृत निधि/टियर 1 पूंजी के कतिपय पहलुओं पर स्पष्टीकरण के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने संबंधित प्रावधानों/ निदेशों/ दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और इस मामले में स्पष्टीकरण और संशोधन का प्रस्ताव किया है।

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1911

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक